06 नवंबर 2012 को कोचिन में संपन्न स्पाइसेस बोर्ड की 76 वीं बैठक का कार्यवृत्त

स्पाइसेस बोर्ड की 76 वीं बैठक 06 नवंबर 2012 को दोपहर 2.00 बजे स्पाइसेस बोर्ड के कोच्ची स्थित मुख्यालय में संपन्न हुई । डॉ. ए. जयतिलक भा.प्र.से., अध्यक्ष, स्पाइसेस बोर्ड ने बैठक की अध्यक्षता की ।

निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे :

1	श्री पी.जे. कुञ्जच्चन	उपाध्यक्ष
2	श्री पी.टी. तोमस, सांसद	सदस्य
3.	श्री एस.तंकवेलू, सांसद(राज्य सभा)	सदस्य
4.	श्री रोय के. पाउलोस	सदस्य
5	श्री फिलिप कुरुविला	सदस्य
6	श्री माधवन	सदस्य
7	श्री जोजो जोर्ज	सदस्य
8	श्री मान सिंह परसौदा	सदस्य
9	श्री अबुल कलाम	सदस्य
10	श्री जोर्ज वैली	सदस्य
11	श्री जी.मुरलीधरन	सदस्य
12	डॉ. एम.आनन्दराज	सदस्य
13	श्री जी.बी.उपाध्याय, उप सचिव, (निदेशक (बागान), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करते हुए)	सदस्य
14	श्रीमती अमरीत राज, निदेशक (वित्त), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय	सदस्य
15	श्री राजेन्द्र पी. गोखले	सदस्य
16	श्री के.एम.सुलतान इब्राहीम	सदस्य
17	श्री ई.के. वासु	सदस्य

निम्नलिखित सदस्यों को अनुपस्थिति छुट्टी प्रदान की गई :

1	श्री अनन्त कुमार हेगडे, सांसद(लो.स.)	सदस्य
2	श्री संजीव चोपडा	सदस्य
3.	श्री. के.सी. प्रधान	सदस्य
4.	प्रोफ. राम राजशेखरन, निदेशक, सी एफ टी आर आई, मैसूर	सदस्य
5	प्रधान निदेशक, बागवानी एवं नकदी फसल विकास विभाग, सिक्किम	सदस्य
6	श्रीमती सुषमा श्रीकण्ठत्त	सदस्य
7	डॉ . विजू जेकब	सदस्य
8	श्रीमती सुतपा मजूंदार	सदस्य
9	श्री के.आर. ज्योतिलाल भा.प्र.से., सचिव, केरल सरकार, कृषि विभाग, तिरुवनन्तपुरम	सदस्य
10	श्री एन.सी. साहा	सदस्य
11	श्री अजय जे.मारीवाला	सदस्य

निम्नलिखित सदस्य अनुपस्थित थे :-

1	प्रशासक, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड	सदस्य
2.	एड्वोकेट जोय तोमस	सदस्य

बोर्ड के निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित थे :

1. श्री पी.एम. सुरेषकुमार, सचिव और प्रभारी निदेशक(अनु.)
2. श्री एस.सिद्दरामप्पा, निदेशक(विकास)
3. श्री के.सी.बाबू, निदेशक(वित्त)
4. डॉ. एम.आर. सुदर्शन, निदेशक(विपणन)
5. डॉ. पी.एस.एस. तंपी, उप निदेशक(प्रचार)
6. श्री पी.जगदीशन, उप निदेशक(यो.व स.)
7. श्री के.आर.के. मेनोन, वैज्ञानिक 'सी', गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला

अध्यक्ष महोदय ने सर्वप्रथम सभी सदस्यों, खासकर निदेशक (बागान), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करनेवाले श्री जी.बी.उपाध्याय, उप सचिव को स्पाइसेस बोर्ड के अपने पहले दौरे पर स्वागत किया ।

मद सं. 1: 17 जुलाई 2012 को संपन्न स्पाइसेस बोर्ड की 75 वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

पुष्टि की गई

मद सं. 2: 17 जुलाई 2012 को संपन्न स्पाइसेस बोर्ड की बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट

सचिव ने पिछली बोर्ड बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई का संक्षिप्त विवरण दिया और बोर्ड ने उसे नोट किया। विभिन्न कृत्यक बल समितियों द्वारा अनुशंसित कार्रवाइयों को भी नोट किया गया।

रैपिड एलर्ट नोटिफिकेशन (मद सं.18) के संबंध में आर ए एस एफ एफ की समेकित सूची पर प्रवृत्ति विश्लेषण चलाने का निर्णय लिया गया।

निदेशक(विपणन) द्वारा यह सूचना दी गई कि बीजीय मसाला कृत्यक बल समिति की दूसरी बैठक गोन्दाल, गुजरात में संपन्न हुई। टी एफ सी ने कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों का चयन किया है जहां पर स्पाइसेस बोर्ड ध्यान दे सकता है और कृत्यक बल ने विभिन्न केन्द्रों द्वारा एकत्रित आंकडों के आधार पर उत्पादन, उत्पादकता और संभाव्य निर्यात भी, जिसे चालू वर्ष 2012-13 के दौरान हासिल किया जा सकता है, तय किया है। बंगलादेश में

तीसरी पार्टी द्वारा मूल्यांकन किए जाने के कारण बंगलादेश केलिए जीरा और धनिया के निर्यात में कठिनाई की समस्या उठाई गई । यह मामला, मंत्रालय के ध्यान में लाया जा रहा है। बीजीय मसाला टी एफ सी के अध्यक्ष गोखले से निवेदन किया गया कि श्री मानसिंह परसौदा, बोर्ड सदस्य को टी एफ सी के साथ सहयोजित किया जाय ताकि गुना क्षेत्र में टी एफ सी के निर्णयों का वे प्रचार-प्रसार कर सकें।

मद सं. 3: गुण्टूर जिला, आन्ध्र प्रदेश में किसानों के मिर्च नमूनों के विश्लेषण केलिए पाइलट योजना

वर्ष 2012-13 के दौरान 49.50 लाख रुपए की कुल लागत में गुण्टूर जिले में 1000 नमूनों के विश्लेषण केलिए अनुमोदन दिया गया। अध्यक्ष महोदय ने सूचित दी कि यह योजना अन्य क्षेत्रों में भी बढा दी जाएगी।

मद सं. 4: गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला, स्पाइसेस बोर्ड द्वारा विश्लेषण किए गए परेषण नमूनों की स्थिति

नोट की गई ।

मद सं. 5: परिचालन द्वारा लेखक के अनुमोदन पर रिपोर्ट

नोट की गई ।

मद सं. 6: स्पाइसेस बोर्ड में मोडिफाइड फ्लेक्सिबल कॉप्लिमेन्टिग स्कीम(एम एफ सी एस) के कार्यान्वयन केलिए प्रस्ताव

बोर्ड ने इस योजना में निर्धारित पात्रता के अनुरूप बोर्ड में वैज्ञानिकों केलिए फ्लेक्सिबल कॉप्लिमेन्टिग स्कीम (एम.एफ.सी.एस.) के कार्यान्वयन का अनुमोदन किया ।

मद सं. 7: मोबाइल स्पाइस क्लिनिक - आई सी आर आई, मैलाडुम्पारा

नोट की गई।

मद सं. 8: आई सी आर आई, मैलाडुम्पारा में परामर्श सेवाएं

नोट की गई।

मद सं. 9: आई सी आर आई, मैलाडुम्पारा में बायो एजेंट उत्पादन और आपूर्ति

नोट किया गया।

मद सं . 10: अप्रैल-अगस्त 2011 की तुलना में अप्रैल-अगस्त 2012 के दौरान भारत से मसालों के निर्यात की पुनरीक्षा

नोट की गई।

मद सं. 11: स्थापनाधीन स्पाइस पार्कों व गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाओं की स्थिति

बोर्ड ने वर्तमान स्थिति नोट की। माननीय सांसद श्री एस.तंकवेलु ने शिवगंगा में स्पाइसेस पार्क की स्थापना में बोर्ड के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने शिवगंगा स्पाइसेस पार्क में प्रसंस्करण केलिए मिर्च/हल्दी के अलावा अन्य मसालों को भी शामिल करने और शिवगंगा जैसे पिछडे इलाकों के कृषकों केलिए जागरूकता बैठक का आयोजन करने का अनुरोध किया। अध्यक्ष महोदय ने जवाब दिया कि ऐसा किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि बोर्ड को रायबरेली में स्पाइसेस पार्क की स्थापना केलिए ए एस आई डी ई योजना के तहत 19 करोड रुपए की मंजूरी मिली है। श्री राजेन्द्र पी गोखले ने पुदीना कृषि व निर्यात की क्षमता तथा राय बरेली के स्पाइस पार्क में पुदीना प्रसंस्करण सुविधाएं स्थापित करने केलिए प्रस्तावित परियोजना के बारे में भी बात की।

श्री अबुल कलाम ने धारवाड में स्पाइसेस पार्क स्थापित करने का अनुरोध किया और अध्यक्ष महोदय ने उत्तर दिया कि कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय को आई सी ए आर से अनुमोदन प्राप्त करना है इसलिए कर्नाटक राज्य सरकार धारवाड में राजस्व ज़मीन आबंटित करने पर विचार करें।

मद सं.12: स्पाइस हाउस प्रमाणन
नोट किया गया

मद सं.13: निर्यातक रजिस्ट्रीकरण केलिए आवेदन के प्रस्तुतीकरण का विकेन्द्रीकरण
नोट किया गया

मद सं.14:लदान-पूर्व नमूनन/भरण- एफ्लाटोक्सिन का एफ एस एस ए आई स्तर
नोट किया गया

मद सं.15:निर्यात विकास और संवर्धन योजना के अधीन आवेदनों के प्रस्तुतीकण का विकेन्द्रीकरण

नोट किया गया

मद सं.16: परिचालन द्वारा मुम्बई में गुणवत्ता मूल्याँकन प्रयोगशाला की अपेक्षा केलिए परिचालन द्वारा संकल्पना के अनुमोदन की रिपोर्ट
नोट की गयी

अतिरिक्त मद सं. I : इ-नीलाम प्रणाली: इलायची(अनु पन & विपणन)नियम 1987 का संशोधन
विस्तृत चर्चा की गयी और प्रस्ताव के संशोधन हेतु अनुमोदन किया गया ।

अतिरिक्त मद सं. II : इलायची(अनुज्ञापन & विपणन)नियम 1987 के अधीन नीलामकर्त्ता लाइसेंस जारी करने केलिये नियमों व विनियमों का संशोधन

कानूनी सलाहकार के अनुमोदन और निम्न लिखित परिवर्तनों के साथ अनुमोदन किया गया:

4(1) आवेदक, आवेदन करते समय कंपनी अधिनियम 1956 अथवा बहु-राज्य सहकारिता समिति अधिनियम 2002 अथवा केरल राज्य सहकारिता समिति अधिनियम 1969 अथवा साझेदारी अधिनियम 1932 के अधीन रजिस्ट्रीकृत अथवा समिति रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत धर्मार्थ समिति अथवा एक रजिस्ट्रीकृत सहकारिता समिति अथवा किसी राज्य अथवा वर्तमान संघ राज्य क्षेत्र के किसी कानून के अधीन रजिस्ट्रीकृत माना जाएगा।

4(11)बैंक गारंटी की राशि के संगणन के लिए संशोधित फार्मूला निम्नानुसार है:

(एक फसल अवधि में नीलाम के जरिए बिकी गई कुल इलायची किलोग्राम में / उस फसल अवधि के कुल नीलामों की संख्या) X फसल अवधि के लिए प्रति किलोग्राम इलायची का भारित औसत मूल्य X 2

4(111) **भुगतान दो कार्य दिवस के बदले 7 कार्य दिवस के अंतर्गत किया जाएगा** और खंड **"भुगतान इलेक्ट्रॉनिक अंतरण के जरिए बैंक खाते में किया जाएगा "** को हटा दिया जाएगा।

निबंधन सं. 10 **" नीलाम में बिकी गई इलायची की देय राशि नीलाम की तारीख से 7 दिनों के अंतर्गत चुकानी है "** करके परिवर्तित की जाए।

नई नीलाम लाइसेंस जारी करने की पात्रता के निबंधनों में यह जोडने का सुझाव किया गया कि आवेदक को इलायची के भंडारण के लिए एक केंद्रीय भंडागार होना चाहिए। साथ ही, यह वांछनीय है कि आवेदक के पास इलायची की सफाई और ग्रेडिंग की सुविधाएं हो।

बोर्ड के सुझावों को शामिल करने के बाद संशोधित पाठ निम्नानुसार होगा :

इलायची (अनुज्ञापन एवं विपणन) नियम 1987

भारत सरकार

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

नई दिल्ली

अधिसूचना (इलायची नियंत्रण)

सा.का.नि..... मसाला बोर्ड अधिनियम 1986, (1986 का 10) की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार इलायची (अनुज्ञापन एवं विपणन) नियम 1987 में एतदद्वारा निम्नानुसार संशोधन करती है, अर्थात् ;

1 (1) ये नियम इलायची (अनुज्ञापन एवं विपणन) संशोधन नियम 2012 कहे जाएँगे।

(2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. इलायची (अनुज्ञापन एवं विपणन) संशोधन नियम के नियम 4 में उप नियम (4) के रूप में निम्नलिखित जोड़ दिया जाएगा:

(4) नीलामकर्त्ता के रूप में लाइसेन्स जारी करने की शर्तें निम्नानुसार होंगी:

(i) आवेदक, आवेदन करते समय कंपनी अधिनियम 1956 अथवा बहु-राज्य सहकारिता समिति अधिनियम 2002 अथवा केरल राज्य सहकारिता समिति अधिनियम 1969 अथवा साझेदारी अधिनियम 1932 के अधीन रजिस्ट्रीकृत अथवा सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत धर्मार्थ समिति अथवा एक रजिस्ट्रीकृत सहकारिता समिति अथवा किसी राज्य अथवा वर्तमान संघ राज्य क्षेत्र के किसी कानून के अधीन रजिस्ट्रीकृत माना जाएगा।

(ii) आवेदक बोर्ड को खंड अवधि तक विधिमान्य बैंक गारंटी देगा जिसकेलिए आवेदक नीलामकर्त्ता लाइसेन्स प्राप्त करना चाहता है। बैंक गारंटी की राशि का संगणन निम्नानुसार फार्मूला के अनुसार किया जाएगा:

= (एक फसल अवधि में नीलाम के जरिए बिकी गई कुल इलायची किलोग्राम में / उस फसल अवधि के कुल नीलामों की संख्या) X फसल अवधि के लिए प्रति किलोग्राम इलायची का भारित औसत मूल्य X 2

नीलाम द्वारा बिकी गई इलायची की मात्रा, नीलाम की संख्या, भारित औसत मूल्य और प्रति नीलामकर्त्ता द्वारा औसत नीलाम संख्या एक भौगोलिक क्षेत्र आधार पर लिए जाएँगे। 1 अगस्त से लेकर 31 जुलाई तक की अवधि एक फसल अवधि मानी जाती है।

(iii) यदि नीलामकर्त्ता शर्तों व निबंधनों, जिसके तहत नीलामकर्त्ता को लाइसेन्स जारी की गई है, के अनुसार भुगतान करने में चूक जाता है तो, बोर्ड बैंक गारंटी का फायदा उठाएगा और लाइसेन्स निलंबित करेगा।

(iv) आवेदक उस व्यक्ति को, जिसकी इलायची पूल की गई है, नीलाम की तारीख से सात कार्य दिवस के अंतर्गत नीलाम में बिक्री की गई इलायची के लिए लागू बिक्री मूल्य का भुगतान करने की स्थिति में होगा।

(v) नीलामकर्त्ता के रूप में लाइसेन्स जारी करने के लिए आवेदन स्पाइसेस बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित अतिरिक्त दस्तावेज़ों तथा अपेक्षित शुल्क सहित प्रस्तुत किया जाएगा।

(vi) आवेदक को पूल की गई इलायची के भंडारण के लिए एक केंद्रीय भंडागार होना चाहिए। साथ ही, यह वांछनीय है कि आवेदक के पास इलायची की सफाई और ग्रेडिंग की सुविधाएं हों।

3. **प्ररूप ख** (नीलामकर्त्ता के रूप में लाइसेन्स) में वर्तमान शर्त सं.1 और सं.10 को निम्नलिखित शर्त से प्रतिस्थापित किया जाएगा:

शर्त सं. 1: नीलामकर्त्ता पूल करने को पेश की गई इलायची की प्रत्येक लॉट से 1500 ग्राम लेगा और लिए गए नमूने की मात्रा उस व्यक्ति को, जिसकी इलायची पूल की गई है, दिये गए क्रॉप स्लिप में दर्ज करेगा। लिए गए नमूने से 100 ग्राम पणनकर्त्ता का नमूना बतौर अलग रखा जाएगा और 50 ग्राम नीलाम केंद्र में प्रदर्शन के लिए रखा जाएगा। इस प्रकार, कुल 150 ग्राम का प्रयोग नीलामकर्त्ता द्वारा बोली के प्रयोजनार्थ किया जा सकता है। नीलामकर्त्ता 1350 ग्राम इलायची (लिए गए नमूने से) के मूल्य की प्रतिपूर्ति करेगा। अत:, नीलामकर्त्ता द्वारा उस व्यक्ति को, जिसकी इलायची पूल की गई है, देय कुल राशि, कुल राशि का 1% कमीशन घटाकर शेष नमूना प्रतिपूर्ति राशि और नीलाम में बिकी गई लॉट के मूल्य का योग होगी। अनुमत्य 1% कमीशन के अलावा कचरा, वजन हानी, धर्मार्थ आदि बतौर कोई अतिरिक्त प्रभार की कटौती नहीं की जाएगी।

शर्त सं.10 : नीलामकर्त्ता यह सुनिश्चित करें कि नीलाम में बिकी गई इलायची का देय नीलाम की तारीख के सात कार्य दिनों के अंतर्गत चुकाया जाता है।

अतिरिक्त मद सं.III: कृषकों को स्पाइसेस बोर्ड द्वारा लाइसेन्स प्रदान किए गए व्यापारियों को सीधे इलायची बेचने की अनुमति देना

इलायची कृषक अपना उत्पाद नीलाम द्वारा या सीधे रजिस्ट्रीकृत व्यापारियों को बेच पाने से संबंधित परिपत्र जारी करने हेतु बोर्ड द्वारा अनुमोदन किया गया।

अध्यक्ष महोदय ने उन सभी सदस्यों से, जिनकी कार्यावधि 2 दिसंबर 2012 को समाप्त हो रही है, स्पाइसेस बोर्ड के सुचारू कार्य निष्पादन के लिये उनके पूरे सहयोग के लिये आभार प्रकट किया । श्री पी.जे. कुञ्ञच्चन ,उपाध्यक्ष ने धन्यवाद प्रस्ताव किया और बैठक सायं 5.45 बजे समाप्त हो गई ।